मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल,

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 3-9-2016

क्रमांक/एफ/3–8/2016/26–2 / प्रदेश में निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के प्रावधान अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास के उद्वेश्य से निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना 2008 संचालित है ।

2. निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना–2008 की कण्डिका 2.3 में निम्नानुसार प्रावधान है :–

2.3 निःशक्त दम्पत्ति (पति/पत्नि) यदि दोनों संयुक्त रूप से आवेदन करते हैं, तो पति के मूल निवास का स्थान जहां उसका स्थाई पता, भवन, परिसम्पत्ति, भूमि आदि की पुष्टि की जाकर पति/पत्नि को एक स्थान पर यथा पति के मूल निवास जिले में लाभ दिया जायेगा। यही व्यवस्था यदि पति विकलांग है और पत्नि का निवास स्थान पति से भिन्न है तो पत्नि आवेदक के रूप में जिस जिले की वह मूल निवासी है, वहां उसको आवेदन करना होगा ।

उक्त प्रावधान को और स्पष्ट करने हेतु निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना–2008 की कण्डिका 2.3 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

2.3.1 निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु दम्पत्ति में से यदि पति निःशक्त है तो पति को जिस जिले का वह निवासी हो, उस जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण कार्यालय को नियमानुसार विवाह सम्पन्न होने के एक वर्ष के भीतर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

2.3.2 यदि दम्पत्ति में पत्नि निःशक्त है तो पत्नि को जिस जिले की वह निवासी है, उस जिले के संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण कार्यालय में नियमानुसार विवाह सम्पन्न होने के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा ।

2.3.3 यदि पति पत्नि दोंनों निःशक्त हैं एवं एक ही जिले से संबंधित है तो पति एवं पत्नि द्वारा संयुक्त रूप से उस जिले के संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण कार्यालय में नियमानुसार विवाह सम्पन्न होने के एक वर्ष के भीतर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

theapa latter 180

2.3.4 यदि पति पत्नि दोनों निःशक्त हैं एवं अलग अलग जिले के निवासी हैं तो दोनों में से किसी एक जिले के संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, कार्यालय में संयुक्त रूप से नियमानुसार विवाह सम्पन्न होने के एक वर्ष के भीतर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगें।

2.3.5 संबंधित जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण की जिम्मेदारी होगी कि वे इस बात की पुष्टि कर लें कि दंपत्ति द्वारा दूसरे जिले से निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया गया है ।

उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

NK-4

(वीरेन्द्र कुमार बाथम)
प्रमुख सचिव
म0प्र0 शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण मध्यप्रदेश.

पृष्ठां.क्रमांक/एफ/3-8/2016/26-2 भोपाल दिनांक 3-9-2016
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, मान्नीय मंत्रीजी, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मध्यप्रदेश.
2. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश.
3. संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, म0प्र0
4. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश.
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश.
6. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश.
7. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

7 SEP 2016

1476
8/9/16

405
9.9.16

अवर सचिव
म0प्र0 शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण मध्यप्रदेश